10/014 IV

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 820976

1–	ट्रस्ट का नाम	:	राजाराम वेलफेयर ट्रस्ट
2–	ट्रस्ट का पता	:	ग्राम –राजेन्द्र नगर , (दरगाह) पोस्ट– दरगाह, तहसील–मधुबन, जनपद–मऊ (उ0प्र0) ,पिन कोड–276306
3–	ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण भारतवर्ष और विदेशों में भी ट्रस्ट कार्य कर सकेगा।
4–	ट्रस्ट की परिभाषाएँ	:	जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो इस ट्रस्ट के लिखित अधिनियम में तथा इसके अधीन बने विनियमों में –

(क) **"ट्रस्ट" का तात्पर्य** : "राजाराम वेलफेयर ट्रस्ट" से हैं ।

(कक) **ट्रस्टी का तात्पर्य** : "राजाराम वेलफेयर "मुख्य ट्रस्टी"।

(ख) **"ट्रस्ट काउन्सिल"** : का तात्पर्य ट्रस्ट की विचार सभा से है ।

(खख) **मेम्बर आफ ट्रस्ट काउन्सिलर्स** " का तात्पर्य ट्रस्ट की विचार सभा के सदस्यों से है ।

(ग) **"लेजिसलेटिव ट्रस्ट काउन्सिल (Legislative trust council)"** का तात्पर्य ट्रस्ट की व्यवस्थापक सभा से है ।

(गग) **"मेम्बर आफ लेजिसलेटिव ट्रस्ट काउन्सिल (Member of legislative trust council)"** का तात्पर्य ट्रस्ट के व्यवस्थापक सभा के सदस्यों से है ।

223 ... 27/5/14

रोहित गुप्ता पुत्र कृष्णाजीराम गुप्ता खन्दरगाह

50

कोषागार ... STA...

व्यापृत्त 100 ... 120

बैनामा............शु० रजि०............योग............

श्री रोहित गुप्ता पुत्र स्व ...

नि० ...

जिला ... ने कार्यालय उ० नि० ...

में आज दिनांक ... के

बीच पेश की

उ० नि०

25.8.2014

इस लेखपत्र के लेखन व निष्पादन को समझ

पु० ... श्री रोहित गुप्ता

पहल, ... पाकर भी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 820977

(घ) "**एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल (Executive trust council)**" का तात्पर्य ट्रस्ट के कार्य सम्पादनी सभा से हैं ।

(घघ) "**मेम्बर्स आफ एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल (Member of executive trust council)**" का तात्पय ट्रस्ट के कार्य सम्पादनी के सदस्यों से हैं ।

(च) "**बोर्ड (Board)**" का तात्पर्य ट्रस्ट के उस परिषद से हैं, जिसे किसी विशेष प्रयोजन हेतु ट्रस्ट की व्यवस्थापक सभा द्वारा गठित कर उस प्रयोजन को सम्पन्न कराने का अधिकार दिया जाय ।

(छ) "**सम्बद्ध समिति**" का तात्पर्य उस समिति से है जो विधिवत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट उन्हें अपने से सम्बद्धता प्रदान किया हो ।

(ज) "**महानिदेशक (Director General)**" का तात्पर्य मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति विशेष से है ।

(झ) "**निदेशक**" से तात्पर्य ट्रस्ट प्रबन्ध (व्यवस्थापक सभा) सभा द्वारा चयनित या मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति विशेष से है ।

(ट) "**सचिव**" से तात्पर्य ट्रस्ट के विभिन्न अंगों के अलग–अलग नामित या चयनित सचिवों से है है ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 820978

ट्रस्ट की स्मृति पत्र

1–	ट्रस्ट का नाम	:	राजाराम वेलफेयर ट्रस्ट
2–	ट्रस्ट का पता	:	ग्राम –राजेन्द्र नगर , (दरगाह) पोस्ट– दरगाह, तहसील–मधुबन, जनपद–मऊ (उ0प्र0) ,पिन कोड–276306
3–	ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण भारतवर्ष और विदेशों में भी ट्रस्ट कार्य कर सकेगा।

4– ट्रस्ट का उद्देश्य –

1– भारतीय संस्कृत परम्परा के आधार पर सादा जीवन उच्च विचार पर आधारित प्रारम्भिक विद्यालय के लेकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं संचालन करना जिसमें भारतीयता, सामाजिकता,स्वदेश प्रेम, समाज सेवा आदि की भावना उत्पन्न हो ।

2– साहित्यिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक, खगोलीय, भाषा, ज्ञान, प्रकृति, प्राणी, जड़, जंगम, आदि विषयों पर शोध करना ।

3– बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कर सच्चारित्र नागरिक बनाना ।

4– छात्रावास,पुस्तकालय,वाचनालय,विभिन्न विषयों पर प्रयोग एवं शोध हेतु प्रयोगशालाएं,आदि स्थापित एवं संचालित करना तथा राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास एवं प्रचार–प्रसार करना ।

5– बालक–बालिकाओं मे अनुशासनात्मक ढंग से शिक्षा ग्रहण करने की भावना उत्तन्न करना एवं को–एजुकेशन पर आधारित विभिन्न प्रशिक्षण व शोध आदि संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना ।

6.– आर्थिक रूप से कमजोर एवं असहाय लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ट्रस्ट(Trust) से सम्बन्धित सदस्यों,पदाधिकारी गण एवं कर्मचारियों को आर्थिक ,चिकित्साकीय आदि प्रकार की सुविधा प्रदान करना । साथ ही ट्रस्ट(Trust) से जुड़े सदस्यों,पदाधिकारियों, कर्मचारियों के परिजनों हेतु पठन–पठन–पाठन,रहन–सहन,आर्थिक ,शिक्षा हेतु,मकान बनवाने,दुकान की स्थापना करने एवं रोजगार देने हेतु विशेष व्यवस्था एवं मदद करना ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 139662

7– मातृ एवं शिशु कल्याण हेतु जच्चा–बच्चा स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना ।

8– विद्यार्थियों के सर्वागीण विकास हेतु छात्रावास, खेलकूद,एवं देशाटन तथा जीम हाउस आदि की व्यवस्था एवं संचालन करना । शिशु/बालक/विद्यार्थियों/प्रौढ़ो के विशेष बौद्धिक शिविर लगाकर विभिन्न ज्वलन्त विषयों की जानकारी देना एवं प्रशिक्षित करना जिससे समाज एवं राष्ट की सुरक्षा हो सकें ।

9– पूरे देश एवं समाज में समाजवादी सोच एवं सम रससता की भावना उत्पन्न करना तथा देश की एकता और अखण्डता हेतु विभिन्न जनहित एवं राष्ट्रहित के कार्यो का सम्पादन करना व कराना ।

10– महिलाआं के विकास हेतु सिलाई,कढ़ाई,बुनाई,पेन्टिंग ,कताई तथा आदि प्रकार के रोजगार परक योजनाओं को बढ़ावा देने एवं महिला समृद्धि को प्रोत्साहित करना ।

11– स्वयं सहायता समूहों का गठन करना व कराना तथा व उनके लघु उद्योगों की स्थापना व संचालन कराना तथा उनके द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना व संचालन कराना तथा उन्हें कच्चे माल की व्यवस्था करना व उनके द्वारा तैयार वस्तुओं को बाजार में विक्रय कराना ।

12– क्षेत्र में लोगों में सामाजिक,नैतिक,आर्थिक रूप से स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करना एव क्षेत्र के बेरोजगारों को प्रशिक्षित कराकर तथा कारीगरो की व्यवस्था करना एवं कराना ।

13– खादी ग्रामोद्योग ,खादी कमीशन,कपार्ट,डूडा,सूडा ,डी0आर0डी0ए0 व अन्य सरकारी, अर्धसरकारी या एन0जी0ओ0 से जुड़कर या उन्हें अपने साथ जोड़कर उनकी योजनाओं को संचालित करना तथा अपनी योजनाओं को विस्तार हेतु उनके द्वारा संचालित कराना ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AU 120055

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14– अल्प संख्यकों के कल्याण हेतु अलपसंख्यक विद्यालय,मदरसा संचालित करना एवं उनके विकास व शिक्षण–प्रशिक्षण आदि संसाधनों की व्यवस्था करना तथा अल्पसंख्यक कल्याण आयोग से जुड़कर उसके द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओ को संचालित करना,कराना व उनका प्रचार–प्रसार करना व कराना तथा अल्पसंख्यक कल्याणकारी विभिन्न संगठनों से जुड़कर उनके हित में कार्य करना व कराना तथा उनके विकास व कल्याण हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण आदि शिविरों का आयोजन करना व कराना तथा उन कार्यो हेतु स्वदेशी व विदेशी संस्थाओं से ऋण ,चन्दा व अनुदान तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करना व सहायता देना ।

15– अनुसूसचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं दलितों की छात्रों के शिक्षा की उचित व्यवस्था करना तथा उनके कल्याण हेतु कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना । अनुसूचित जाति कल्याण आयोग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं को विकसित एवं प्रचार–प्रसार करना व कराना एवं उस क्षेत्र मे कल्याणकारी कार्य करने वाली संस्थाओं से जुड़कर एवं उन्हें जोड़कर कार्य करना व कराना । विभिन्न संस्थाओं से विश्व बैंक राज्य तथा केन्द्र सरकार से इस हेतु ऋण,चन्दा अनुदान,सहयोग आदि लेना व देना ।

16– वृद्ध, विकलांगों के कल्याण हेतु कल्याणकारी योजनाओं को संचालन करना तथा विकलांगों का शिक्षित व प्रशिक्षित करने हेतु विशेष शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा उन्हें कल्याणकारी व रोजगार परक प्रशिक्षण मुहैया कराकर रोजगार की व्यवस्था कराना । वृद्ध,विकलांग,आश्रम,असहायगृह व अनाथालय आदि की स्थापना करना व कराना तथा इस हेतु ऋण,अनुदान,चन्दा आदि प्राप्त करना व कराना ।

17– ईशाई मिशनरीज व ट्रस्टों से जुड़कर कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना व कराना तथा उनसे ऋण,अनुदान, चन्दा आदि लेना व देना ।

18– असहाय व गरीबों हेतु बिना जाति का ध्यान दिये तथा अन्य लोगों के लिए भी आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना व महिलाओं हेतु हास्टल शिक्षा की व्यवस्था करना तथा सर्व धर्म व समभाव का विकास करते हुए सबके लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन व समाज को समरसता के मार्ग पर चलकर समाज में जीवन यापन करने हेतु प्रोत्साहित करना ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 120056

19– मेडिकल कालेज,इंजिनियरिंग कालेज,डिम्ड यूनिवरसिटी स्व वित्तपोषित विश्वविद्यालय ,पालिटेक्निक कालेज, आई0टी0आई0 विद्यालय तथा अन्य तकनीकी संस्थाओं व वैज्ञानिक व शोध संस्थानों,मृदा परीक्षण केन्द्रों,सीड़ व कार्प रिसर्ज सेन्टरों चिकित्सालयों आदि की स्थापना व संचालन करना ।

20– जल शुद्धिकरण परियोजना,वायु प्रदूषण से मुक्ति हेतु कल्याणकारी योजनाओं पर शोध कार्य कराना व उनका प्रचार–प्रसार कराना तथा जल,स्थल,वायु,आकाश ,मानव ,पशु,पक्षी,जीव–जन्तु,स्थावर,चल, अचल सभी के कल्याण हेतु कल्याणकारी खोज करना व कराना तथा ऐसा करने वाले संस्थाओं से जुड़कर कार्य करना व कराना ।

21– साक्षरता, महिला कल्याण, विमुक्ति जातियों के कल्याण तथा बाल,वृद्ध विकलांगों के कल्याण हेतु कल्याणकारी योजनाओं का संचालन विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी व एन0जी0ओ0 से जुड़कर कार्य करना व कराना ।

22– देश तथा विदेशों में भी विभिन्न स्थानों पर कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु अपनी ट्रस्ट की शाखा कार्यालय की स्थापना करना व कराना तथा विभिन्न प्रकार के विद्यालयों जो कि उपर वर्णित हैं उनके स्थापना व संचालन करना व कराना । अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं को सम्बद्ध कर उनके माध्यम से कार्य करनाा व कराना तथा उन्हें ऋण चन्दा आदि लेना व देना ।

23– अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा,केन्द्र,प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र,कोचिंग सेन्टरों आदि दृष्य व श्रव्य यंत्रों द्वारा शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था व विकास करना ।

24– बेरोजगारी उन्मूलन हेतु विभिन्न रोजगार परक कार्यक्रमों का संचालन जो कि राज्य सरकार, आई0 डी0 वी0आई0 सिडवी,लघु उद्योग नियम,नावार्ड,राष्ट्रीय महिला कोष,आर0बी0आई0 एवं विश्व बैंक आदि से संचालित कार्यक्रमों का संचालन व प्रचार–प्रसार करना व कराना ।

25– मानव संसाधन विकास मंत्रालय,यूनीसेफ, डब्लू0एच0ओ0, सिडवी, नावार्ड, नोरॉड, डकवारा, आई0 आर0डी0 पी0एस0, जे0आर0वाई0 अम्बेडकर ग्राम, समग्र ग्राम ,स्वजल धारा,सिप्सा, ऐप्सा आदि कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना व कराना तथा इस निमित्त ऋण, चन्दा,अनुदान ,आदि प्राप्त करना ।

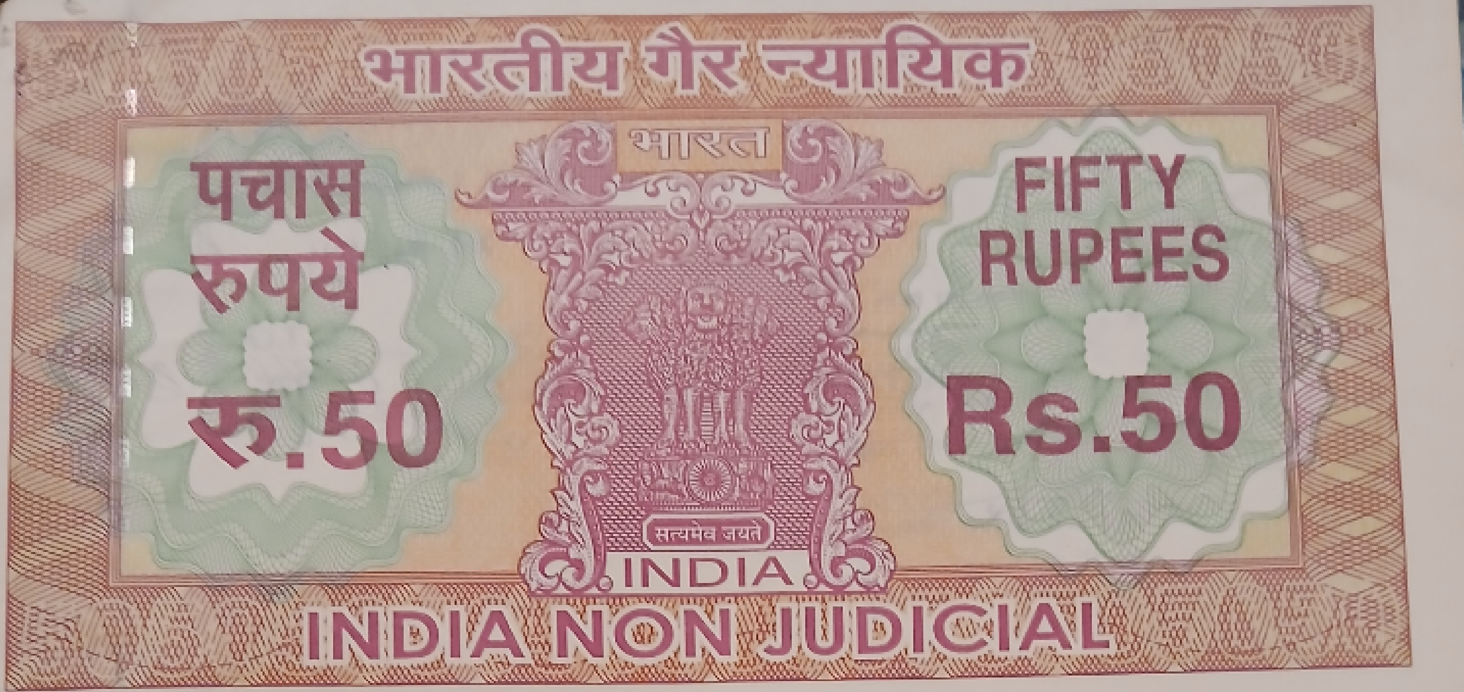

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 120057

26– परिवार नियोजन पर कार्य करना, इस हेतु विभिन्न स्थानों पर नशबन्दी शिविरों आदि का संचालन करना, टीकाकरण ,पल्स पोलियो ,हेपेटाईटिस बी, आदि का शिविर लगाकर टीकाकरण कराना तथा अपंगता, कुष्ट एव अन्धता निवारण केन्द्रों का स्थापना करना,लाईलाज विमारियो जैसे–एड्स,कैन्सर आदि के बचाव हेतु उपायों को लोगो तक पहुँचाना व इनके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा नित्य उत्पन्न होने वाली नई विमारियों की जानकारी व उनके रोकथाम की उपाय लोगों को बताना ।

27– नशा उन्मूलन पर कार्य करना तथा इसके प्रति युवाओं में जागरूकता पैदा करना तथा इस हेतु जगह–जगह नुक्कड़ सभा आदि का आयोजन करना व कराना । मेला प्रदर्शनी ,उत्सव ,महोत्सव, का आयोजन करना व कराना,पशुओ के क्रय–विक्रय का मेला आयोजित करना । नशीली दवा जागरूकता एवं परामर्श केन्द्रों की स्थापना करना एवं सचल डिस्पेंसरी की व्यवस्था हेतु अनुदान केन्द्र सरकार,राज्य सरकारों आदि सरकारी गैर सरकारी संगठनां से प्राप्त करना।

28– एन0जी0ओ0 हेल्पलाइनों की स्थापना करना तथा उनके लिए, शिक्षण प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना ,राज्य सरकारों केन्द्र सरकार तथा विश्व बैंक एवं मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना व कराना । सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाये जा रहे । जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना तथा इस हेतु अनुदान प्राप्त करना ।

29– समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, लेख ,उपन्यासों आदि का प्रकाशन करना व कराना तथा इस हेतु प्रेस आदि स्थापित करना ।

30– भूमि सुधार हेतु एवं भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भूमि सेना का गठन कराकर कार्य कराना । पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करना व अन्य जीवों की सुरक्षा एवंज ल जन्तुआं की सुरक्षा करना । वृक्षारोपड़ कराना व इससे लोगों को होने वाले लाभ बताना ।

31– छोटे ,लघु, कुटीर,घरेलू ,उद्योगो की स्थापना कराकर रूरल एरिया में बेरोजगारो को रोजगार उपलब्ध कराना ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 120058

32– भारत सरकार द्वारा निर्धारित कम्पनी ऐक्ट के अन्तर्गत विभिन्न कम्पनीज की स्थापना तथा भारी एवं हैवी उद्योगों की स्थापना व संचालन करना व कराना तथा इस हेतु वैतनिक या अवैतनिक कर्मचारी आदि की व्यवस्था प्रबन्ध करना ।

33– राष्ट्रहित, समाजहित एवं वैज्ञानिक,ऐतिहासिक या जल, थल और आकाश में किसी भी क्षेत्र में साहसिक कार्य करने वाली प्रतिभाओं को विभिन्न पुरस्कारों से एवं सम्मान पत्रों के माध्यम से सुशोभित एवं सम्मानित करना । आदर्श व राजनैतिक व्यक्तियों को सम्मानित करना । इस ट्रस्ट द्वारा ''उत्तर प्रदेश गौरव'' नामक सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान किया जायेगा ।

34– राजनैतिक पार्टी का गठन करना तथा नियमानुसार उसे चुनाव आयोग भारत के द्वारा पजीकृत कराकर संचालित करना । अनेक संगठनों का गठन एवं संचालन करना व कराना तथा इसे छोटी–छोटी इकाईयों में विभक्त कर संचालित करना ।

35– पेट्रोलियम पदार्थो जैसे– पेट्रोल ,डीजल,कैरोसीन आयल, आदि के लिए पेट्रोल पम्पों आदि की स्थापना करना एवं एल0पी0जी0 गैस आदि की एजेन्सी संचालित करना तथा ईधन के श्रोतों जैसे– कोयला,लकड़ी आदि के संरक्षण एवं सदुपयोग हेतु कार्य करना ।

36– कल–कारखानों की स्थापना एवं सचालन सम्बन्धित ऐक्ट के अनुसार करना ।

37– वित्तीय संस्थानो, बैंकों एवं वित्तीय कम्पनियों की स्थापना एवं संचालन रिजर्व बैंक आफ इकिण्या के निर्देशानुसार करना व कराना तथा नेटवर्किग सिस्टम से कम्पनी का स्थापना एवं संचालन कराना ।

38– बालश्रम उन्मूलन, किशोर न्यायबोर्ड से जुड़कर कार्य करना तथा बालश्रमिकों को चिन्हित कर एवं बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराकर उन्हें शिक्षित करना एवं उनके रोजगार की व्यवस्था करना ।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AU 120059

39– विशेष टास्क फोर्स का गठन कर बाल श्रम कराने वाली संस्थाओं,दकानों एवं देह व्यापार कराने वाले स्थानों पर रेड लाईट एरिया में छापा डालकर उन्हें मुक्त कराना एवं उनके कल्याण हेतु कार्य करना, समुहिक विवाहों का शिविर लगाकर आयोजन करना। शासन प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचारों को जानने एवं उनसे मुक्ति हेतु खुफिया एजेन्सी का गठन करना एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाकर अपने टास्क फोर्स या खुफिया एजेन्सी को उस विभाग की मदद हेतु भेजना या देना ।

40– राष्ट्रद्रोही गतिविधियाँ, आतंकवाद,उग्रवाद आदि के खिलाफ मुहिम चलाना तथा ऐसी गतिविधियों का पता लगाकर खुलासा करना ।

41– मानवाधिकार संरक्षण पर कार्य करना तथा मानवाधिकार से जुड़कर कार्य करना एवं उनके अनुपालन हेत कटिबद्ध होना ।

42– रेड क्रास सोसाइटी से जुड़कर कार्य करना/मानव सेवा का गठन करना जिसके द्वारा नागरिकों की सेवा, सहयोग और सुरक्षा की जा सकें ।

43– विश्व में स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने हेतु स्वास्थ्य चिकित्सा कार्यक्रम ,एलोपैथिक, यूनानी व आयुर्वेदिक योगा, सिद्ध व स्थानीय जड़ी बुटियों की पहचान प्रसार व प्रचार करना तथा औषधि निर्माण फार्मेशी की स्थापना करना ।

44– सेमिनार, प्रशिक्षण,खेल–कूद आदि कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा विभिन्न स्थानों पर रात्रि निवास हेतु यात्री निवासगृह एवं होटल ,ढ़ाबा ,होस्टल की स्थापना करना ।

45– सूचना के तीव्र आदान–प्रदान हेतु सूचना केन्द्र,चैनल,सूचना विज्ञान केन्द्र,दूरदर्शन आदि की स्थापना करना । डाक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण एवं प्रदर्शन एवं प्रचार व प्रसार करना ।

46– सरकारी,अर्धसरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाआं से कान्टेक्ट पर लेकर छोटे बड़े भवन, पुल, पुलिया , मकान ,दुकान ,रास्ता ,नाली ,खड़न्जा ,तारकोल लेपन कार्य कराना ।

47– विभिन्नल स्थानों पर मठ, मन्दिर,धार्मिक स्थल, चर्च,गिरजाघर , आश्रम ,सेवा आश्रम,काम्प्लेक्स आदि का निर्माण करना व कराना ।

48– जल,स्थल व वायु मार्गो में यात्रा संसाधनों का विकास, उनमें ठहराव ,आवागमन संचालन की व्यवस्था करना ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AU 120060

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

49— प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत व बचाव कार्य करना तथा राष्ट्र व जनहित में आर्थिक व अन्य प्रकार की मदद करना ।

50— ऊर्जा के क्षेत्र में प्राकृतिक,अप्राकृतिक,वैकल्पिक ,ऊर्जा बायो गैस आदि का उत्पादन क्रय–विक्रय संचालन प्रदर्शन व प्रचार–प्रसार करना ।

51— मानव अंगों की बिक्री , देह व्यापार आदि जैसे जघन्य अपराधों एवं घृणित कार्यो का पता लगाना एवं ऐसा करने वालों कराने वाले व्यक्तियों संस्थाओं आदि के प्रति दण्डित कराने का प्रयास करना व रोक लगाना ।

52— लोकसेवकोंजन प्रतिनिधियों, समाज सेवियों आदि लोगों की गतिविधियों पर भी ध्यान रखना व उनके द्वारा यदि जनता का शोषण व भ्रष्टाचार को बढ़ाने की गतिविधियों में लिप्तता हो तो उनके खिलाफ आवाज उठाना ।

53— विभिन्न स्थानों पर जनता सहायता केन्द्र खोलना जिसक माध्यम से आम नागरिकों को उनमे संवैधानिक,अधिकारों,कर्तव्यों आदि की जानकारी दी जा सके तथा उनकी आर्थिक,सामाजिक, तथा अन्य प्रकार के मदद की जा सकें । जनता एवं शासन प्रशासन के बीच सामन्जस्य स्थापित करना ।

54— विभिन्न छोटे व बड़े औद्योगिक राजनैतिक, आर्थिक हस्तियों का संगठ न बनाकर ट्रस्ट पारिषद के रूप में स्थपित करना एवं उनके सहयोग से क्षेत्र में विकास कार्य करना व करवाना ।

55— पशुआं, जगली जानवरों, नभचार एवं जलचर जन्तुओं के रख रखाव व संरक्षण हेतु कार्य करना ।

56— ग्राम्य विकास, कृषि के विभिन्न आयामों कृषकों के कल्याण कान्ट्रेक्टर फार्मिग ग्रामीण उद्योग, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों, संस्कृति मंत्रालय आदि विषयो पर विस्तृत योजना बनाकर वृहद कार्य करना व कराना तथा इसके लिए ऋण, चन्दा,अनुदान आदि प्राप्त करना ।

57— युवा मिलाप केन्द्रों की स्थापना करना, युवा परिचय सम्मेलन का आयोजन करना व इस हेतु युवक, युवतियों का सेमिनार गोष्ठी, सम्मेलन आदि का आयोजन करना ।

58— ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर किसी सरकारी , केन्द्रीय ,विदेशी व पंजीकृत संस्थानों से अनुदान अथवा ,ऋण ग्रहणकरना तथा आवश्यकता पड़ने पर बैंक से लोन प्राप्त करना एवं विद्यालय की जमीन को बंधक रखना ट्रस्ट का अधिकार होगा ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 120061

ट्रस्ट के व्यवस्थापक सभा – पदाधिकारीगण के नाम, पता,पद,व्यवसाय जिनको ट्रस्ट के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है निम्नवत है –

क्र.स.	नाम	पिता / पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	उम्र
1	श्री रोहित गुप्ता	पुत्र स्व0 राजाराम गुप्ता	ग्राम व पोस्ट– दरगाह ,तहसील– मधुबन ,जनपद–मऊ–276306	मुख्य ट्रस्टी / महानिदेशक	नौकरी	36 वर्ष
2	श्री नितिन राज गुप्ता	पुत्र स्व0 राजाराम गुप्ता	ग्राम व पोस्ट– दरगाह ,तहसील– मधुबन ,जनपद–मऊ–276306	सचिव / सेक्रेटरी	कृषि	25 वर्ष
3	श्रीमती रीमा गुप्ता	पुत्री पत्नी श्री रोहित गुप्ता	ग्राम व पोस्ट– दरगाह ,तहसील– मधुबन ,जनपद–मऊ–276306	सदस्य	गृहिणी	35 वर्ष
4	श्री प्रशांत गुप्ता	पुत्र स्व0 राजाराम गुप्ता	ग्राम व पोस्ट– दरगाह ,तहसील– मधुबन ,जनपद–मऊ–276306	सदस्य	कृषि	33 वर्ष

उपरोक्त के अलावा ट्रस्ट के इस काउन्सिल में निदेशक (डाइरेक्टर),प्रबन्ध निदेशक,कानूनी सलाहकार तथा दो सदस्य बनाये जायेगें । जिनको मुख्य ट्रस्टी अपने सुविधानुसार उचित समय पर नामित करेगा ।

यह काउन्सिल ट्रस्ट की सर्वोपरि लेजिसलेटिव काउन्सिल होगी तथा ट्रस्ट इसी काउन्सिल के द्वारा बनाये गये नियमों / विनियमों के द्वारा संचालित किया जायेगा । इसके अलावा ट्रस्ट में निम्न समितियों का गठन किया जायेगा –

1– ट्रस्ट काउन्सिल (ट्रस्ट की विचार सभा या साधारण सभा)

2– एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल (ट्रस्ट की कार्य सम्पादनी सभा या प्रबन्ध सभा)

3– ट्रस्ट बोर्ड (ट्रस्ट परिषद)

उक्त समितियों का गठन मुख्यी स्वयं करेगें की लेजिस्लेटिव काउन्सिल के द्वारा गठन कर ट्रस्ट काउन्सिल के द्वारा अनुमोदित कराया जायेगा । जिसके अधिकार व कर्तव्य आगे दिये जायेगें ।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 120062

ट्रस्ट की नियमावली

1– ट्रस्ट का नाम : राजाराम वेलफेयर ट्रस्ट

2– ट्रस्ट का पता : ग्राम –राजेन्द्र नगर , (दरगाह) पोस्ट– दरगाह, तहसील–मधुबन, जनपद–मऊ (उ0प्र0) ,पिन कोड–276306

3– ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष और विदेशों में भी ।

4– ट्रस्ट के सदस्य ,सदस्यों के वर्ग एवं ट्रस्ट की समितियाँ निम्नलिखित है –

(अ) ट्रस्ट काउन्सिल – यह ट्रस्ट की विचार सभा है । इसमें निम्न प्रकार के सदस्य सम्मिलित होंगे ।

गठन

गठन– इस ट्रस्ट का गठन रू0दस हजार (रू010,000–00) से किया जायेगा ।

(क) " आजीवन सदस्य (Life time members)" जो व्यक्ति ट्रस्ट को एक मुस्त रूपया 10000–00 देगा या इसके मूल्य के बराबर चल या अचल सम्पत्ति ट्रस्ट के नाम से दान करेगा वह ट्रस्ट का आजीवन सदस्य होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस राशि के अलावा उसे लगातार 10 वर्षो तक 5000–00 वार्षिक सदस्यता भी दना होगा किन्तु चीफ ट्रस्टी का यह विशेष अधिकार होगा कि अपने विवेकानुसार ट्रस्ट हित में बिना शुल्क के भी किसी व्यक्ति को आजीवन सदस्य बना सकेगा ।

(ख) "वार्षिक सदस्य (Annual members)" ऐसे व्यक्ति जो संस्था के हित में सोचते या कार्य करते रहेगें और वार्षिक सदस्यता के रूपये ट्रस्ट को 5000.00 रू0 देते रहेंगे । वे ट्रस्ट के वार्षिक या साधारण सदस्य कहें जायेंगे ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 120063

(ग) "विशिष्ट सदस्य (Special members)" ट्रस्ट के प्रति हितैषी भाव रखने वाले सम्मानित साहित्यिक, राजनैतिक, कलाकार या अन्य किसी विशिष्ट गुणों से सम्पन्न व्यक्ति जो ट्रस्ट को विशेषता पर वार्षिक सहयोग देंगे । उन्हें मुख्य ट्रस्टी या महानिदेशक सदस्य मनोनीत करेंगे तथा विशिष्ट या संरक्षक सदस्य कहे जा सकेगें । यदि इन सदस्यों में से किसी सदस्य को पदाधिकारी बनाना होगा तो पहले उन्हें मुख्य ट्रस्टी द्वारा आजीवन सदस्य मोनीत किया जायेगा तत्पश्चात् पदाधिकार दिया जा सकता है । ट्रस्ट काउन्सिल में ऐसे व्यक्ति अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। किन्तु उन्हें मताधिकार का प्रयोग नही करना होगा ,किन्तु मुख्य ट्रस्टी चाहे तो उनमें से कुछ सदस्यों को आपातकाल या विशेष परिस्थितियों में मत देने का अधिकार हो सकता है । विशिष्ट या संरक्षक सदस्यों में से जिन्हें मुख्य ट्रस्टी द्वारा विशेष या आपातकालीन स्थिति में मत देने का अधिकार दिया जायेगा । उन्हें चीफ ट्रस्टी द्वारा तत्काल संस्थापक सदस्यों का दर्जा दिया जायेगा और वे ट्रस्ट काउन्सिल में उतना ही समय तक मताधिकार का प्रयोग करेंगे जब तक कि उन्हें मुख्य ट्रस्टी के द्वारा संस्थापक सदस्य या दर्जा प्राप्त होगा , उसके द्वारा यह दर्जा समाप्त किये जाने पर पुनः वे विशिष्ट या संरक्षक की भूमिका में आ जायेंगे ।

(1) " उपरोक्त प्रकार के सदस्यों के लिए निम्न अर्हताएँ पूरा करना आवश्यक होगा"–

(a)- उनकी उम्र 18 वर्ष से कम ना हो ।

(b)- उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो ।

(c)- प्रत्येक प्रकार के सदस्य ट्रस्ट के नियमों /विनियमों के अनुपालन हेतु कृत संकल्पित है ।

(d)- वह भारत का नागरिक हो या किसी अन्य राष्ट्र का नागरिक होने की दशा में उस राष्ट्र मे नागरिकता का विधिवत प्रमाण रखता हो । तथा ट्रस्ट के नियमों का पालन करता हो तो दो गवाहों के साक्ष्य से उसे भी ट्रस्ट की सदस्यता दी जा सकेगीं ।

(e)- वह व्यक्ति जो किसी अपराधिक मामले में दण्डित न हुआ हो ।

(f)- समाज का सम्मानित व्यक्ति हो ।

(g)- पागल दिवालिया न हो ।

(h)- किसी साधारण या असाध्य रोगों से ग्रस्त न हो , यदि ऐसी स्थिति में किसी को सदस्य बनाना आवश्यक होगा तो ट्रस्टी अपने विवेक से ट्रस्ट हित में सदस्य बना सकता है किन्तु वे ट्रस्ट काउन्सिल के बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं ।

(i)- जो समाज के लिए आदर्श हो ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 120064

(2) " सदस्यों की समाप्ति "–

(a)- मृत्यु होने पर ।

(b)- पागल अथवा दिवालिया होने पर ।

(c)- ट्रस्ट के प्रति अनिष्टकारी कार्य करने पर ।

(d)- त्यागपत्र देने या अविश्वास प्रस्ताव आने पर । इस दशा में चीफ ट्रस्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा।

(e)- बिना किसी सूचना के लगातार तीन बैठकों में उपसिथति न होने पर ।

(f)- ट्रस्ट के नियमों का पालन न करने पर या नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर किन्तु जो सदस्य शुल्क से मुक्त है उन पर यह धारा नही लागू होगी ।

(g)- किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर सदस्यता बिना किसी सूचना या नोटिस के स्वतः निलम्बित हो जायेगी ।

(3) " ट्रस्ट काउन्सिल की बैठके" वर्ष में दो बार या मुख्य ट्रस्टी के बुलाने पर कभी भी ।

(4) " सूचना अवधि "– ट्रस्ट काउन्सिल की समस्त बैठक की सूचना सभी सदस्य को लिखित रूप से 10 दिन पूर्व दी जायेगी । आपातिक या विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व किसी भी त्वरित माध्यम से दी जायेगी ।

(5) " गणपूर्ति "– ट्रस्ट काउन्सिल की गणपूर्ति के लिए चीफ ट्रस्टी तथा ट्रस्ट काउन्सिल के प्रत्येक प्रकार के सदस्यों में से दो–दो सदस्य की उपस्थित हो तो गणपूर्ति मान ली जायेगी ।

(6) " ट्रस्ट काउन्सिल के कर्तव्य "–

(a)- लेजिसलेटिव ट्रस्ट काउन्सिल एवं एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल का गठन एवं चुनाव करना । किन्तु इसमें मुख्य ट्रस्टी की सहमति आवश्यक है तथा उसके द्वारा अनुमोदन भी जरूरी होगा । (मुख्यट्रस्टी चुनाव से मुक्त आजीवन ट्रस्टी हैं)

(b)- लेहिजसलेटिव ट्रस्ट काउन्सिल द्वारा पास किये गए प्रस्तावों का अनुमोदन करना , उन पर विचार करना या उन्हें स्थगित करना , पुनर्विचार के लिये वापस करना ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AU 120065

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(c)- ट्रस्ट की बजट पर विचार करना ।

(d)- ट्रस्ट के नियमों /विनियमों/संशोधनों/परिवर्धनो पर विचार करना ।

(e)- ट्रस्ट के चल-अचल सम्पत्ति की देखमाल करना ।

(f)- लेजिसलेटिव ट्रस्ट काउन्सिल एवं एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल पर नियंत्रण रखना ।

(g) यदि मुख्य ट्रस्टी चाहे तो ट्रस्ट काउन्सिल के सभी अधिकार व कर्तव्य अपने पास सुरक्षित रख सकता है ।

(7) " ट्रस्ट काउन्सिल का कार्यकाल" ट्रस्ट काउन्सिल का कायकाल सामान्यतया 5 वर्ष का होगा किन्तु मुख्यट्रस्टी आजीवन बना रहेगा ।

(5) " ट्रस्ट काउन्सिल के अंग (Parts of trust council)"

(अ) " लेजिसलेटिव ट्रस्ट काउन्सिल (Legistative trust Council)"

(ब) " एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल (Executive trust Council)"

(अ) " लेजिसलेटिव ट्रस्ट काउन्सिल (Legistative trust council) " यह ट्रस्ट की व्यवस्थापक सभा होगी। इसका गठन निम्न प्रकार से होगा :-

(1) एक मुख्य ट्रस्टी (Chief trusti) होगा जो सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्त व ट्रस्ट के हित में उसे सर्वाधिकार सुरक्षित होगा । यह महानिदेशक भी कहा जायेगा । किन्तु मुख्य ट्रस्टी यदि चाहे तो अपने कार्यो के संचालन के लिए अपने किसी विश्वास पात्र को अपने जगह नामित कर सकता है, जो मुख्य ट्रस्टी के सभी कार्यो का संचालन कर सकता है। किन्तु ऐसा नामित व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी नही अपितु महानिदेशक का पद धारण करेगा । तथा सभी निर्णय लेने में सक्षम होगा वशर्ते उसका अनुपालन तभी सुनिश्चित होगा जब उसे ट्रस्ट काउन्सिल नियमानुसार अनुमोदित कर दें या मुख्य ट्रस्टी स्वयं अनुमोदित कर दे। ट्रस्ट में यह पद **श्री रोहित गुप्ता** आजीवन धारण करेगें तथा जब तक जीवित रहेगे व अपने रहते ही कम से कम एक व अधिक से अधिक अपने इच्छानुसार सहायक ट्रस्टी नामित कर सकते है। जो ट्रस्ट का उत्तराधिकार ग्रहण कर सकते हैं। उन सहायक ट्रस्टी गण में वरीयता क्रम चीफ ट्रस्टी द्वारा ही निर्धारित किया जायेगा तथा चीफ ट्रस्टी द्वारा ही निर्धारित किया जायेगा तथा चीफ ट्रस्टी के नहीं रहने पर ट्रस्ट का अधिकार पूर्व चीफ ट्रस्टी द्वारा निर्धारित उत्तराधिकार के क्रम में होगा ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 120066

(2) " निदेशक **(Director)** " ट्रस्ट की व्यवस्थापक (प्रबन्ध सभा) सभा में एक निर्देशक होगा जिसका चयन नियमावली के धारा 4 के वर्णित उपधारा (क), (ख) व (ग) के सदस्यों में से किया जायेगा । जो कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा 2/3 बहुमत के कुल सदस्यों में किया जायेगा, किन्तु यदि मुख्य ट्रस्टी चाहे तो स्वतः उनमें से किसी को या बाहरी व्यक्ति को भी इस हेतु मनोनीत कर सकता है। इस हेतु ट्रस्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा ।

(3) " प्रबन्ध निदेशक **(Managing Director)** " लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल में एक प्रबन्ध निदेशक होगा जिसका चयन ट्रस्ट काउन्सिल में लिखित धारा 4 के उपधारा (क), (ख) व (ग) में वर्णित सदस्यों में से 2/3 बहुमत से किया जायेगा या उन्ही सदस्यों में से मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित कर दिया जायेगा जो कि ट्रस्ट काउन्सिल में सर्व मान्य होगा ।

(4) " सचिव **(Secratory)** " लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल के कार्यो को सुचारू रूप से चलाने हेतु लेखा जोखा आदि कार्यो को देखने हेतु एक सेक्रेटरी चुना जायेगा जो शिक्षित हो इस पद पर मुख्य ट्रस्टी/महानिदेशक अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति का चयन कर सकेगा तथा यदि वह व्यक्ति ट्रस्ट काउन्सिल में किसी भी प्रकार की सदस्यता नही रखता हो तोउसे ट्रस्ट काउन्सिल में विशिष्ट/संरक्षक सदस्य मान लिया जायेगा तथा नामित कर इसे लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल द्वारा अनुमोदित कराया जायेगा और पुनः इसकी सूचना ट्रस्ट काउन्सिल को दी जायेगी ऐसे सेक्रेटरी का चयन/मनोनयन ट्रस्ट काउन्सिल के सदस्यों में से या उनसे बाहरी व्यक्ति का भी किया जा सकता है। इसके लिए मुख्य ट्रस्टी निर्णय अन्तिम होगा ।

(5) " कानूनी सलाहकार **(Legal Adviser)** " ट्रस्ट के विधिक क्रिया–कलापों/कार्यो के संचालन हेतु एक लीगल एडवाईजर का चयन किया जायेगा, जो विधिक जानकारी के साथ ही ट्रस्ट एवं ट्रस्ट में लिखित धाराओं का विशेष जानकारी रखता हो और ट्रस्ट में किसी भी प्रकार के विवाद की पैरवी व निपटारा करेगा। इस पद पर भी मुख्य ट्रस्टी/महानिदेशक द्वारा नामित किया जायेगा या ट्रस्ट काउन्सिल से भी चयनित किया जा सकता है, किन्तु यदि नामित व्यक्ति हो तो वह स्वतः ट्रस्ट काउन्सिल का विशिष्ट/संरक्षक सदस्य मान लिया जायेगा और इसे नामित कर लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल के अनुमोदन कराकर इसकी सूचना ट्रस्ट काउन्सिल को दे दिया जायेगा ।

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 120067

(6) " सदस्य (Member) या सहायक ट्रस्टी (Legal Adviser) " ट्रस्ट में कम से कम एक या एक से अधिक लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल के मेम्बर होगें जिनकी संख्या का निर्धारण मुख्य ट्रस्टी करेगा तथा मेम्बर ही मुख्य ट्रस्टी के उत्तराधिकारी व सहायक ट्रस्टी कहे जायेंगे । आवश्यकतानुसार इनकी संख्या मुख्य ट्रस्टी घटा या बढ़ा सकता है तथा ट्रस्ट की हिस्सेदारी भी मुख्य ट्रस्टी निर्धारित करेगा । ये सदस्य/सहायक ट्रस्टी भी ट्रस्ट काउन्सिल के धारा 4(अ) के उपधारा (क), (ख) व (ग) में से किसी प्रकार की सदस्यता रखें यह जरूरी है ।

(7) (a) " ट्रस्ट की व्यवस्थापक सभा (Legisiestive trust council) की बैठके " लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल की बैठक हर तीसरे महीने हुआ करेगी तथा जरूरत पड़ने पर चीफ ट्रस्टी द्वारा कभी भी आवश्यक बैठक बुलायी जा सकती है।

(b) " बैठको की सूचना अवधि " साधारण बैठक की सूचना सामान्यतया एक सप्ताह पूर्व लिखित रूप से सदस्यों/पदाधिकारी गण को दी जायेगी तथा आपात कालीन बैठक की सूचना किसी भी त्वरित माध्यम से 12 से 24 घण्टे के अन्दर दी जायेगी ।

(c) " गणपूर्ति " लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल की गणपूर्ति मुख्य ट्रस्टी के आलावा दो अन्य सदस्यों के उपस्थिति से ही मान लीं जायेगी तथा मुख्य ट्रस्टी अकेले भी कोई निर्णय लेने में सक्षम होगा । बशर्ते इसकी सूचना बाद में लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल को देना अनिवार्य होगा ।

(d) " लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल का कार्यकाल " लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल का कार्यकाल सामान्यतया 7 वर्ष का होगा, किन्तु मुख्य ट्रस्टी/महानिदेशक अपना पद आजीवन धारण करेगा । उसे कभी भी नही बदला जा सकेगा ।

(e) " रिक्त स्थानों की पूर्ति – लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल में रिक्त स्थानों की पूर्ति काउन्सिल के शेष सदस्यों में से 2/3 बहुमत के किया जायेगा या मुख्य ट्रस्टी/महानिदेशक द्वारा शेष समय के लिए नामित कर इसे लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल में 2/3 बहुमत में अनुमोदित कराकर इसकी सूचना सचिव के माध्यम से ट्रस्ट काउन्सिल को दे दिया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 120068

(f) " लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल के कर्तव्याधिकार तथा कृत्य "

(क) बजट का विचार करना और उसे स्वीकृत करना ।

(ख) एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल का गठन व संचालन करना ।

(ग) ट्रस्टबोर्डो कागठन कर उनका कार्यक्षेत्रनिर्धारित करना व उन पर विचार करना।

(घ) ट्रस्ट के नियमो/विनियमों/संगत धाराओं आदि में संशोधन/परिवर्तन/ परिमार्जन आदि 2/3 बहुमत से करना किन्तु इस मामले में यदि चीफ ट्रस्टी व लीगल एडवाईजर भी मिलकर चाहे तो वह संशोधन कर सकते हैं। तथा इन संशोधनों से ट्रस्ट काउन्सिल को अवगत कराना होगा ।

(ड़) ट्रस्ट क चल-अचल सम्पत्ति की देखभाल व सुरक्षा करना ।

(च) ट्रस्ट की ओर समी प्रकार का पत्राचार आदि जो कि सचिव के माध्यम से होगा की जानकारी रखना ।

(छ) वैतनिक व अवैतनिक कर्मचारियो,पदाधिकारियों की नियुक्ति/कार्य मुक्ति/पुरस्कृत/दण्डित करना तथा यदि वैतनिक कर्मचारी हो तो उनकी आचरण पुस्तिका व सेवा पुस्तिका आदि का निर्माण व समीक्षा करना ।

(ज) ट्रस्ट के लिए सम्पति जुटाना।

(झ) ट्रस्ट से विभिन्न प्रोजेक्ट आदि का संचालन करना, अन्य संस्थानों आदि से सम्बद्धता प्रदान करना।

(अ) ट्रस्ट की बजट में सम्मिलित किये जाने हेतु ट्रस्ट से सम्बद्ध अन्य संस्थानों/समितियों से सम्बन्धित नई मांगो की अनुसूचियों को देखना जिन्हें उसने सम्बद्धता प्रदान की हो, य वि‍ह उचित समझे तो उसे पास करना या ट्रस्ट काउन्सिल में विचारर्थ भेजना ।

(आ) उक्त सभी अधिकार व कर्तव्य अकेले मुख्य ट्रस्टी में भी सम्मिलित होगा और व सर्वोपरि होगा ।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 120069

(8) **" लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल के पदाकिारियों के अधिकार,कर्तव्य तथा कृत्य "**

(1) **" मुख्य ट्रस्टी या महानिदेशक"**

(क) सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना ।

(ख) ट्रस्ट की चल–अचल सम्पत्तियों की देखभाल करना ट्रस्ट में कर्मचारियों का निरीक्षण करना ।

(ग) विवादों की स्थिति में निर्णायक मत देना । किसी भी विवाद की स्थिति में मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा ।

(घ) बैठको में शान्ति कायम करना ।

(ड़) विशेष बैठकों के आयोजन हेतु सेक्रेटरी को आदेश देना ।

(च) ट्रस्ट काउन्सिल एवं लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल की बैठक हेतु सेक्रेटरी को आदेश देना ।

(छ) ट्रस्ट हेतु चन्दा,दान,सहयोग ,आदि श्रोतों से धन इकट्ठा करना एवं उसकी सुरक्षा करना ।

(ज) बैठकों को सुविधानुसार बुलाना,स्थगित करना एवं परिवर्तन करना या अनुमोदन करना ।

(झ) कर्मचारियों की नियुक्ति/कार्य मुक्ति/पदोन्नति/दण्डित करना,सेवा पुस्तिका एवं आचरण पंजी को एवं हस्तान्तरित करना एवं इस हेतु अन्य को भी अधिकार देना ।

(अ) ट्रस्ट की ओर से विभिन्न बैंको में खातों का संचालन करना एवं उन खातों के संचालन हेतु कर्मचारी/ पदाधिकारी नियुक्त करना ।

(ब) ट्रस्ट के नियमों/विनियमों में संशोधन रुपरिवर्तन आदि करना तथा ट्रस्टहित में अन्य लिये गये निर्णयों को सचिव के माध्यम से लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सियल मे अनुमोदित करना एवं ट्रस्ट काउन्सिल को अवगत कराना ।

(स) ट्रस्ट हित में सभी प्रकार का सर्वाधिकार सुरक्षित रखना एवं निर्णय लेना ।ट्रस्ट काउन्सिल में सदस्य नामित करना एवं लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल में पदाधिकारी नामित करना जबकि चयनित हो या आकस्मिक रिक्ति हो ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AU 120070

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(द) एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल का गठन करना एवं ट्रस्ट परिषदों का गठन करना एवं उनके लिए नियम बनाना व उसे लागू करना ।

(य) ट्रस्ट के लिए चल/अचल सम्पत्ति, भूमि–भवन आदि का क्रय करना ।

(2) **निदेशक–** (क) ट्रस्ट में कर्मचारियों की नियुक्ति /पदोन्नति/दण्डित करना तथा उनसे कार्य ट्रस्ट हित में महानिदेशक के आदेशनुसार उन से कार्य कराना ।

(ख) ट्रस्ट के लिए अन्य श्रोतों से धन एकत्रित करना ।

(ग) ट्रस्ट की सम्पत्तियों की सुरक्षा करना ।

(घ.) ट्रस्ट काउन्सिल एवं लेजिस्लटिव ट्रस्ट काउन्सिल के प्रति उत्तरदायी होना ।

(ङ) ट्रस्ट परिषदों पर नियंत्रण रखना

(च) ट्रस्ट की ओर से मेम्बरशिप सर्टीफिकेट जारी करना ।

(छ) किसी भी प्रकार की बैठक की सूचना सचिव के माध्यम से जारी करना ।

(ज) ट्रस्ट की ओर से पत्राचार करना ।

(झ) अन्य कोई भी वह कार्य जो ट्रस्ट हित में चीफ ट्रस्टी द्वारा सौंप जाय । उसका अनुपालन करना ।

(3) **प्रबन्ध निदेशक–** (क) ट्रस्ट हेतु चन्दा दान इत्यादि श्रोतों से धन इकट्ठा करना ।

(ख) मुख्य ट्रस्टी द्वारा दिये गये सभी अधिकारों,कर्तव्यों एवं निर्देशों का पालन करना व कराना ।

(ग) बैठकों की सूचना सेक्रेटरी द्वारा प्रसारित करना ।

(घ.) ट्रस्ट की ओर से पत्राचार करना ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AU 120071

(ङ) एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल पर नियंत्रण रखना तथा अनेक प्रोजेक्टों व अन्य कार्यो हेतु विभिन्न एडिसनल (सहायक) एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल का गठन करना , उनमे आवश्यकतानुसार पद सृजित करना , पदो हेतु योग्ययता का निर्धारित करना ।

(च) एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल में कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों से कार्य लेना,उनके सेवा व शर्ते आदि का निर्धारण करना तथा उन्हें वेतन आदि की व्यवस्था करना ।

(छ) निदेशक के आदेशानुसार ट्रस्ट परिषद का गठन करना एवं उनके अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारित करना ।

(ज) ट्रस्ट परिषद में वैतनिक व अवैतनिक कर्मचारियों।पदाधिकारियों की नियुक्ति आदि की व्यवस्था करना ।

(झ) अन्य कार्य जैसा कि समय–समय पर मुख्य ट्रस्टी का निर्देश हो ।

(4) **"सचिव (Secretory)"**

(क) मुख्य ट्रस्टी /महानिदेशक /निद्रेशक/मैनेजिंग डाईरेक्टर के आदेश पर बैठकों की सूचना प्रसारित करना/नाटिस देना आदि ।

(ख) बैठकों की कार्यवाही लिखना एवं बैठकों की अध्यक्षता कर रहे अधिकारी से प्रमाणित कराकर सुरक्षित रखना ।

(ग) रसीद एवं बहियों का निरीक्षण करना तथा उनकी सुरक्षा करना ।

(घ.) ट्रस्ट काउन्सिल व लेजिस्लटिव ट्रस्ट काउन्सिल का एक सचिव होगा जो इनके लिए कार्य करेगा तथा एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल, एवं ट्रस्ट परिषदों के लिए अलग–अलग सचिव होंगे एवं ट्रस्ट के जिस भाग हेतु सचिव नियुक्त किया जायेगा सिर्फ उसी भाग का कार्य कर सकेगा । किन्तु यदि चीफ ट्रस्टी चाहे तो किसी भी सचिव से कोई भी कार्य ले सकता है ।

(ङ) ट्रस्ट के कोष पर ट्रस्टी के आदेशानुसार एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार नियंत्रण रखना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 120072

(5) "**कानूनी सलाहाकार (Legal Advisercretory)**"

(क) ट्रस्टी की ओर से अदालती कार्यवाही करना ।

(ख) ट्रस्ट में उत्पन्न विवादों को निपटारा एवं पैरवी करना ।

(ग) ट्रस्ट के संगत धाराओं स्मृति पत्र नियमावली आदि में संशोधन /परिवर्तन/परिष्करण आदि करना किन्तु इस हेतु मुख्य की सहमति आवश्यक होगी ।

(घ.) ट्रस्ट की ओर से न्यायालयी कार्यवाही करने हेतु वैतनिक/अवैतनिक कर्मचारी/पदाधिकारी नियुक्त करना ।

(ङ) किसी भी विवादास्पद स्थिति में उचित कानूनी सलाह देना ।

(च) शेष वे सभी कानूनी एवं न्यायिक कार्य जो मुख्य ट्रस्टी द्वारा सौंपा जाय ।

(9) " **एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल का गठन** " यह ट्रस्ट की कार्य सम्पादनी सभा होगी जो कि विभिन्न कार्यो हेतु लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल द्वारा आवश्यकता पड़ने पर गठित की जायेगी तथा उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण मुख्य ट्रस्टी द्वारा किया जायेगा । विभिन्न कार्य सम्पादनी सभा अपने निर्धारित उद्देश्यों हेतु विभिन्न बैंकों में खाते आदि का संचालन मुख्य ट्रस्टी /महानिदेशक की अनुमति से करेगी । इन खातों का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति करेगा ।

(10) **ट्रस्ट बोर्ड (ट्रस्ट परिषद)** " यह ट्रस्ट के विस्तार हेतु ट्रस्ट के कार्य क्षेत्रों में सुचारू रूप से कार्य सम्पन्न कराने हेतु ट्रस्ट के विभिन्न परिषदों का गठन किया जायेगा जो कि ट्रस्ट की व्यवस्थापक सभा जैसा भी उचित समझेगी ट्रस्ट बोर्डो का गठन करेगी तथा उसके हेतु नियम कानून आदि बनायेगी ˙ विभिन्न ट्रस्ट बोर्डो का अपना–अपना खाता विभिन्न बैंको में मुख्य ट्रस्टी के आदेशानुसार खोलेगें एवं संचालन करेगे । इन खातों का संचालन ट्रस्ट बोर्ड का सवि व चीफ ट्रस्टी द्वारा नामित सदस्य करें ।

(11) "आय –व्यय का लेखा " प्रत्येक वर्ष ट्रस्ट के आय– व्यय का आगणक किसी मान्यता पाप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराया जायेगा एव मुख्य ट्रस्टी द्वारा लेजिस्लेटिव काउसिल को अनुमोदनार्थ पस्तुत किया जायेगा ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AU 120073

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(12) "**ट्रस्ट की निधियाँ** "

(क) नकद या सरकारी प्रतिभूतियाँ अथवा जमींदारी विनाशबन्धों के रूप में प्रभूति निधि (इण्डायमेंण्ट) या रक्षितनिधि बैंक या डाकघर के खातो में रखी जायेगी । इस ट्रस्ट का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोली जायेगी । इन खातो का संचालन मुख्य ट्रस्टी/महानिदेशक तथा महासचिव /सेकेटरी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(ख) ट्रस्ट की अन्य निधियाँ बैंक, डाकघर में जमा की जायेगी विनियोजन के लिए पृथक रखी गयी धनराशियाँ राष्ट्रीयकृत बचत–पत्र या कोषागार पत्र के रूप में जमा की जायेगी ।

(13) "ट्रस्ट के नियमों/विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया "– ट्रस्ट के नियमों/विनियमों के कोई भी संशोधन/परिवर्तन मुख्य ट्रस्टी कानूनी सलाहकार की सहमति से किया जा सकेगा तथा से लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल द्वारा अनुमोदन कराकर ट्रस्ट पर लागू किया जा सकेगा । किन्तु मुख्य ट्रस्टी स्वेच्छा में भी कोई परिवर्तन/संशोधन लागू कर सकेगा ।

(14) "ट्रस्ट के अभिलेख" ट्रस्ट के पास निम्न अभिलेख होंगे –

(क) सदस्यता रजिस्टर (ख) कार्यवाही रजिस्टर

(ग) सूचना पंजिका (घ) लेजर बुक, कैश बुक आदि जिसके रख–रखाव की संयुक्त जिम्मेदारी प्रबन्ध निदेशक एवं सचिव की होगी ।

(15) **राजाराम वेलफेयर ट्रस्ट** के संस्थापक धनराशि रू010000/–(दस हजार) जिसका वह पूर्ण स्वत्वाधिकारी है वह ट्रस्ट के प्रारम्भिक कार्य हेतु हस्तान्तरित एवं अनुदानित करता है, जो ट्रस्ट की सम्पत्ति कही जाएगी, जिसका उपयोग न्यासीगण उपरिवर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग करेगें । संस्थापक आज की तिथि से उक्त अनुदानित सम्पत्ति से प्रत्येक दावे तथा हक का त्यजन करता है ।

(16) विघटन की कार्यवाही " ट्रस्ट का विघटन मुख्य ट्रस्टी द्वारा निर्धारित उत्तराधिकार क्रम में होगा तथा इस हेतु मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा ।

(17) ट्रस्ट में विवाद एवं उसका निपटारा– ट्रस्ट में किसी भी प्रकार के विवाद की मुकदमा सर्व प्रथम जनपद–मऊ न्यायालय में की जाएगी तथा उसकी पैरवी ट्रस्ट के लीगल एडवाइजर द्वारा अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 120073

(12) "ट्रस्ट की निधियाँ "

(क) नकद या सरकारी प्रतिभूतियाँ अथवा जमींदारी विनाशबन्धों के रूप में प्रमूति निधि (इण्डायमेंण्ट) या रक्षितनिधि बैंक या डाकघर के खातो में रखी जायेगी । इस ट्रस्ट का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोली जायेगी । इन खातो का संचालन मुख्य ट्रस्टी/महानिदेशक तथा महासचिव /सेकेटरी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(ख) ट्रस्ट की अन्य निधियाँ बैंक, डाकघर में जमा की जायेगी , विनियोजन के लिए पृथक रखी गयी धनराशियाँ राष्ट्रीयकृत बचत–पत्र या कोषागार पत्र के रूप में जमा की जायेगी ।

(13) "ट्रस्ट के नियमों/विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया "– ट्रस्ट के नियमों/विनियमों के कोई भी संशोधन/परिवर्तन मुख्य ट्रस्टी कानूनी सलाहकार की सहमति से किया जा सकेगा तथा से लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल द्वारा अनुमोदन कराकर ट्रस्ट पर लागू किया जा सकेगा । किन्तु मुख्य ट्रस्टी स्वेच्छा में भी कोई परिवर्तन/संशोधन लागू कर सकेगा ।

(14) "ट्रस्ट के अभिलेख" ट्रस्ट के पास निम्न अभिलेख होंगे –

(क) सदस्यता रजिस्टर (ख) कार्यवाही रजिस्टर

(ग) सूचना पंजिका (घ) लेजर बुक, कैश बुक आदि जिसके रख–रखाव की संयुक्त जिम्मेदारी प्रबन्ध निदेशक एवं सचिव की होगी ।

(15) **राजाराम वेलफेयर ट्रस्ट** के संस्थापक धनराशि रू010000/–(दस हजार) जिसका वह पूर्ण स्वत्वाधिकारी है वह ट्रस्ट के प्रारम्भिक कार्य हेतु हस्तान्तरित एवं अनुदानित करता है, जो ट्रस्ट की सम्पत्ति कही जाएगी, जिसका उपयोग न्यासीगण उपरिवर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग करेगें । संस्थापक आज की तिथि से उक्त अनुदानित सम्पत्ति से प्रत्येक दावे तथा हक का त्यजन करता है ।

(16) विघटन की कार्यवाही " ट्रस्ट का विघटन मुख्य ट्रस्टी द्वारा निर्धारित उत्तराधिकार क्रम में होगा तथा इस हेतु मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा ।

(17) ट्रस्ट में विवाद एवं उसका निपटारा– ट्रस्ट में किसी भी प्रकार के विवाद की मुकदमा सर्व प्रथम जनपद–मऊ न्यायालय में की जाएगी तथा उसकी पैरवी ट्रस्ट के लीगल एडवाइजर द्वारा अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।

STAMP

31 MAR 2014

C.G. C.T.O.

ने स्वीकार किया जिनकी पहचान

श्री

नि०

2. श्री

ने की

उ० नि०

कपूर-चन्द यादव

उक्त चिन्ह अगुष्ठ प्रकटतः सभ्य साक्षियों के नियमानुसार लिए गए

उ० नि०

2.5.9.2014

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AU 120074

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

टाईपकर्ता – श्री भुवनेश्वर यादव
अली बिल्डिंग,मऊ

हस्ताक्षर [signature]

लेखक– श्री एस0एन0 सिंह
बलिया मोड़ –मऊ

हस्ताक्षर [signature] 02.06.2014

<u>मुख्य ट्रस्टी</u>

नाम– रोहित गुप्ता

पिता स्व0 राजाराम गुप्ता

पता ग्राम व पोस्ट– दरगाह ,तहसील मधुबन,
जनपद–मऊ –276306

हस्ताक्षर

1–गवाह [illegible]

सचिव

नाम– श्री नितिन राज गुप्ता

पिता स्व0 राजाराम गुप्ता

पता ग्राम व पोस्ट– दरगाह ,तहसील मधुबन,
जनपद–मऊ –276306

हस्ताक्षर

2–गवाह कपूर चन्द यादव पुत्र श्रीकान्त यादव, ग्राम- उफरौली, पो० [illegible] त० मधुबन, जनपद- मऊ

[signature]

246

27/3/14

STAMP

3 MAR 2014

आज दिनांक 25/8/14 को फोटो स्टेट प्रति
पुस्तक संख्या IV 64 के पृष्ठ 393/426
पर क्रम सं० 10 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।
उ० नि०